तारीख हुक्म	221/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.18	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के काबिज रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार है जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश के माध्यम् से उनके खाते की काश्तकारी के उपयोग-उपभोग से विधि विरुद्ध प्रतिबन्धित गलत रूप से किया गया है। अतः विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरित पारित आदेश जेर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार है जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी खाते की काश्तकारी के उपयोग-उपभोग हेतु प्रतिबन्धित किया जाना उचित प्रतीत नही होने से आदेश जेर अपील दिनांक 21/2/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो	

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	227/2018 रूड़मल / जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 30 दिवस की अवधि मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता यह पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश की प्रति सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [illegible signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	